कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास (म0प्र0)

कमांक– 92 / S.W. / F-35 / 2024 **देवास, दिनांक–09.12.2024**

:0: आदेश :0:

इस न्यायिक स्थापना की तहसील मुख्यालय बागली पर कार्यरत, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (श्री चन्द्रकिशोर बारपेटे) बागली के न्यायालय में तीन **आपराधिक अपील प्रकरण कमांक–CRA/18/2022** (भादर वि. वन विभाग) एवं **CRA/19/2022** (धर्मेन्द्र वि. वन विभाग) तथा **CRA/19/2024** (सुखराम वि. वन विभाग) लंबित होने से, उक्त तीनों आपराधिक अपील प्रकरणों में से दो आपराधिक अपील प्रकरण क्रं. **CRA/18/2022** (भादर वि. वन विभाग) एवं **CRA/19/2022** (धर्मेन्द्र वि. वन विभाग) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल) बागली के न्यायालय में अंतरित होने से तथा एक आपराधिक अपील प्रकरण क्रं.–**CRA/19/2024** (सुखराम वि. वन विभाग) उक्त न्यायालय में ही लंबित होना दर्शित करते हुए, एक ही निर्णय से उद्भुत अपील होने से, उनका एक साथ एक ही न्यायालय में विचारण किए जाने संबंधी अनुरोध पत्र (क्र.563 / 2024 दि. 03.12.2024) न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बागली द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः मैं, अजय प्रकाश मिश्र, सत्र न्यायाधीश देवास, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा–449 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, बागली के न्यायालय में लंबित **आपराधिक अपील प्रकरण कमांक–CRA/19/2024** (सुखराम वि. वन विभाग) को उनके न्यायालय से प्रत्याहरित कर, **प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (श्रीमती स्वाति कुशल धारीवाल) बागली, जिला–देवास** के न्यायालय में **आपराधिक अपील प्रकरण कमांक–CRA/18/2022** (भादर वि. वन विभाग) एवं **CRA/19/2022** (धर्मेन्द्र वि. वन विभाग) के साथ विधिवत् सुनवाई एवं निराकरण हेतु अंतरित करता हूँ।

प्रकरण अविलंब संबंधित न्यायालय को भेजा जाए।

(अजय प्रकाश मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
देवास (म0प्र0)

पृष्ठांकन कमांक / 4866 / S.W. / F-35 / 2024 देवास, दिनांक 09.12.2024

प्रतिलिपिः–

01. प्रथम / द्वितीय, अपर सत्र न्यायाधीश, बागली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
02. प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, देवास,
03. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, बागली
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. जुनियर सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, देवास की ओर उक्त आदेश को जिला न्यायालय, देवास की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश सहित अग्रेषित।
05. आई.टी. असिस्टेण्ट, तहसील न्यायालय, बागली जिला–देवास उक्त आदेश की प्रति ई–मेल से प्रिंट निकाल कर सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित करें। साथ ही आदेशानुसार प्रकरण सी आई.एस. में अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

(अजय प्रकाश मिश्र)
सत्र न्यायाधीश,
देवास (म.प्र.)